कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 621 /ओबरा/33 वन्दो0 दिनांक– 3-9-2020.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय– 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में विभिन्न प्रभाग में प्रभावित कुल 319.28हे0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– इस कार्यालय के पत्रांक–3069/ओबरा/33 दिनांक–04.06.2020 तथा आपके कार्यालय का पत्रांक–5465/मी0क्षे0/33 दिनांक 18.06.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के प्रस्ताव में आप द्वारा लगायी गयी आपत्ति के बिन्दु सं0–1 में क्रम में आख्या निम्नानुसार प्रेषित है–

1. अवगत कराना है कि 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन का लीज अवधि 22.02.2014 को समाप्त हो चुकी है।
2. लीज अवधि समाप्त होने के बाद प्रयोक्ता एजेंसी (अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड (द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रांशमिशन कारपोरेशन लि0, वाराणसी) द्वारा लीज नवीनीकरण प्रस्ताव अपने कार्यालय पत्रांक–319/वि0प्रे0ख0 II (वा)/दिनांक–14.03.2014 द्वारा इस कार्यालय मे दिनांक–20.03.2014 को प्रस्तुत किया गया।
3. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में में प्रश्नगत प्रकरण का समेकित प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–1655/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–18.11.2016 द्वारा प्रस्तावक विभाग से अनुरोध किया गया।
4. प्रस्तावक विभाग द्वारा विषयक प्रस्ताव को आन लाईन करते हुए अपने कार्यालय पत्रांक–3310/ वि0प्रे0ख0II (वा)/दिनांक–27.08.2018 द्वारा पुनः प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक–30.08.2018 को प्रस्तुत किया गया।
5. प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्घ कराये गये प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–977 दिनांक–28.09.2018 द्वारा आपत्ति लागायी गयी।

Scanned with CamScanner

6. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आपत्ति का निराकरण करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेषित किया गया, तत्पश्चात रेनुकूट, सोनभद्र, मीरजापुर के कार्यालय में उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव उनके द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक–3069/ओबरा/33 दिनांक–04.06.2020 द्वारा आपके कार्यालय में प्रेषित किया गया।
7. प्रश्नगत लीज समाप्ति की तिथि से अब तक लगभग 06 वर्ष 05 माह से अधिक समय का व्यतीत हो चुका है।
8. महोदय को यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं है(जिससे पूर्व में प्रस्ताव की स्वीकृति दिया गया था) में प्रश्नगत क्षेत्र के लीज अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है।
9. चूकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत दी गयी अनुमति में समय–सीमा नहीं थी, अतः लीज अवधि के उपरान्त भी इनके द्वारा भूमि का उपयोग किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
10. लीज अवधि समाप्त होने के उपरान्त जो भी नया लीज रेंट उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी, उस दर से लीज रेंट का भुगतान करने हेतु वचनवद्धता प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

O/C

(प्रखर मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

Scanned with CamScanner